

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा कार्यसूची

ग्यारहवां सत्र

बुधवार, 16 मार्च, 2016/26 फाल्गुन, 1937(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित :

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकित :

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 36(3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश बालक अधिकार संरक्षण राज्य आयोग नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:एसजेई-ए-ए (3)-4/2014 दिनांक 05.02.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.02.2016 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

- (1) श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2015-16), समिति का 55वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) (वर्ष 2014 का प्रतिवेदन संख्या: 2) के पैरा संख्या:3.8 व 3.9 की संवीक्षा पर आधारित है तथा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी ।
- (2) श्री महेश्वर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2015-16), समिति का 18वां प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत आयुर्वेद विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर
श्री जय राम ठाकुर
श्री महेश्वर सिंह

"जिला कुल्लू के मनाली व इसके साथ लगते अन्य पर्यटक स्थलों में समस्त पर्यटन गतिविधियों के बन्द होने " से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

5. वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमान:-

सामान्य चर्चा ।

शिमला-171 004
दिनांक: 15 मार्च, 2016

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव ।

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)